ner and that alleged cases of police excesses are taken serious note of and dealt with firmly wherever they occur. They Government of India also provides financial assistance to the States for the purchase of scientific aids to investigation and training material. This would help police personnel adopt more sophisticated methods of investigation and thereby minimise custodial deaths.

Talks with ULFA

1352. SHRI KAMAL MORARKA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the progress made in the recent talks with ULFA leaders in the light of Prime Minister's recent visit to the North East:

(b) the number of ULFA leaders who surrendered after the new Government took over in Assam; and

(c) the manner in which Government propose to tackle ULFA issues and resolve the problem?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): (a) to (c) The Govt. of Assam is continuing its efforts to achieve the negotiated settlement of the problems of Assam. Several ULFA lealers are also making efforts to bring the anti-talk faction to the negotiating table. According to State Govt., 3130 ULFA leaders/activists| sympathisers have surrendered since 30th June, 1991.

Riots in Seelampur area of Delhi

1353. SHRI RAM NARESH YADAV: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the number of persons killed and injured in the riots in Seelampur area of Delhi during May, 1992 and the details of arrests made in this connection; and

(b) the remedial measures being taken to prevent the recurrence of such incidents?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): (a) 5 persons were killed and 71 persons (including 21 policemen) injured. 105 persons were arrested in this connection.

(b) Among the measures taken to prevent recurrence of communal riots are: special watch over the potential miscreants; deployment of additional force; strengthening of intelligence system; recoures to preventive action; and regular public meetings to which respectables of both the communities are invited.

विरोध प्रकट कर रही महिलाओं पर पुलिस द्वारा प्रहार किया जाना

1354. **श्री मोहम्मद अफजल उर्फ़ शीम अफजल :** क्या गृह मंत्री 6 मई, 1992 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 989 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को लिबिया पर प्रतिबंध लगाए जाने का विरोध कर रही महिलाओं पर प्रहार किए जाने की जांच-रिपोर्ट अब सरकार को प्राप्त हो गई है, और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने दोषी पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान्। दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि उन दो महिलाओं ने, जिनके साथ पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने का आरोप लगाया

गया था, पांच बार बुलाए जाने के बावजूद जांच-पड़ताल में हिस्सा नहीं लिया । जांच अभी की जानी है ।

देश में आंतकवाद

1355. **श्री अजीत जोगी :**
श्री छोटूभाई पटेल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब और कश्मीर के उग्रवादियों ने अपनी अपनी गतिविधियां हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों तक फैला दी है ; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अन्य राज्यों में उग्रवाद और आतंकवाद को फैलने से रोकने के उपायों पर चर्चा करने के लिए और इस समस्या का प्रभावी हल खोजने के लिए 10 दिसम्बर, 1991 को पांच राज्यों और चण्डीगढ़ के गृह सचिवों और पुलिस प्रमुखों की एक बैठक बुलाई गयी थी ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय लिये गए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जेकब) : (क) इस प्रकार के दृष्टांत ध्यान में आए हैं । ऐसा अंशत: आतंकवादियों से प्रभावित राज्यों में सुरक्षा बलों के बढ़ते हुए दबाब और अंशत: आतंकवादियों द्वारा हिंसा के दायरे को बढ़ाने के इरादों के कारण हुआ है

(ख) और (ग) आतंकवाद से निपटने के लिए किए जाने के उपायों को समन्वित करने के उपायों पर विचार विमर्श करने के लिए पंजाब के राज्यपाल द्वारा 10 दिसम्बर, 1991 को एक बैठक बुलाई गई थी । इसमें आतंकवाद विरोधी उपायों को सुदृढ़ करने और प्रभावित राज्यों के बीच आतंकवादी गतिविधियों, उनके आवागमन तथा छुपने के स्थानों के बारे में सूचना का जल्दी जल्दी आदान प्रदान करने तथा समन्वित कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है ।

मद्यनिषेध का उल्लंघन

1356. **श्री अजीत जोगी :**
श्री छोटू भाई पटेल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा वर्ष 1991 के लिए तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार देश में मद्य-निषेध के उल्लंघन संबंधी मामलों में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य-वार और संघ क्षेत्र राज्य-वार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या इस मामले में कोई सर्वेक्षण किया गया है, और यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जेकब) : (क) संबंधित रिपोर्ट "भारत में अपराध 1990" है जो राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा दिसम्बर, 1991 में प्रकाशित की गई है । इसमें दिए गए आंकड़ों के अनुसार मद्यनिषेध के मामलों में, वर्ष 1989 के (7,10,928) मामलों की तुलना में वर्ष 1990 में (5,94,789) 16.3 प्रतिशत की कमी आई है ।

(ख) और (ग) भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।